पत्रावली अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष 46/19 / 20

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री ... अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं 4 वगैरह की ... अनुपस्थित अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 व 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। मामला बहस व आदेश हेतु दि० 23/12/24 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	23/12/24	पत्रावली पेश हुई। विद्वान सहायक अन्य राजस्व ... में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/12/24 को पेश हो।	
	30/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण आज कन्सेशन ... होने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकी। वी०डी० साहब अन्य राजस्व ... में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश	
	27/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी कथन में प्रार्थना पत्र 212 RTA में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व पूर्व पत्र 3 का ता-फैसला दावा स्थायी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली के राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर तथ्य सामने आया है कि वादग्रस्त आराजी के भाई व प्रतिवादी सं. 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 27/1/2012 को तामीलना दावा स्थायी (Abeyance) किया जाता है। पत्रावली नस्ती से कर लेख बाद वकील प्रार्थी को सुनाया गया। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	